राज्य सहयोग पहल के अंतर्गत पहलों की प्रस्तुति के लिए राज्य सरकार हेतु दिशा-निर्देश

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

अगस्त, 2015

विषय-सूची

1.	परिचय	3
2.	उद्देश्य	3
3.	कार्यक्रम डिजाइन संरचना	3
4.	नई पहलों के डिजाइन बनाने के साधन	4
5.	किसी पहल की रूप-रेखा के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत	4
6.	प्रस्ताव के लिए तैयारी	5
7.	आकलन	6
8.	परियोजना कार्यान्वयन	6
	8.1 वित्त पोषण तंत्र	
	8.2 प्रापण	
	8.3 स्वामित्व और सर्वाधिकार	
9.	परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन	6
	प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रोफार्मा	7

1. परिचय

राज्य सहयोग पहल का उद्देश्य लोक प्रशासन में सुधारों को अग्रणी रूप से उत्प्रेरित करना, बढ़ावा देना और प्राप्त करना है । राज्य सहयोग पहल (एससीआई) के अंतर्गत कार्य-नीति लोक सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग के निर्माण की है ।

इस दिशा निर्देश में राज्य सहयोग पहल के अंतर्गत पहल को अभिचिन्हित करके इसके आरंभ के साथ ही अनुकरण के लिए राज्य सरकारों के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के साथ सहयोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है ।

2. उद्देश्य

राज्य सहयोग पहल का उद्देश्य योजनाबद्ध दृष्टिकोण के साथ सेवा प्रदायगी में सुधार हेतु लोक प्रशासन में सुधार को प्रोत्साहन देना और सहयोग करना है । इससे :

i. केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोगात्मक संबंध विकसित होंगे ।
ii. पहलों की एक स्पष्ट योजना बनेगी जिसमें प्रशासनिक सुधार को प्रोत्साहन और सहयोग मिलेगा और नागरिक,विशेष रूप से गरी ब नागरिक केंद्र में रहेंगे ।
iii. प्रणालियों और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर क्षमता निर्माण ।

3. कार्यक्रम डिजाइन संरचना

इस कार्यक्रम के प्रयोजनों के लिए क्षमता की परिभाषा है – नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिए व्यक्तियों, संगठनों और संस्थानों (केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर) की सक्षमता । ऐसी क्षमता को सुदृढ़ करने और बनाए रखने की प्रक्रिया क्षमता निर्माण है । कार्यक्रम के उद्देश्य का संचालन संस्थागत, संगठनात्मक और व्यक्तिगत स्तरों पर कार्यनीतिक पहलें करके किया जाता है । इनका आशय है –

i. सेवा पर नागरिक/क्लाएंट का नियंत्रण/प्रभाव बढ़ाना – **<u>प्रेशर बनाना</u>**
ii. सेवा प्रदायगी से जुड़े संगठनों और प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण – **<u>सेवा प्रदायगी इकाई का सुदृढ़ीकरण</u>**
iii. उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहित और सुदृढ़ करना –**<u>वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करना</u>**

4. नई पहलों की रूप-रेखा बनाने के साधन

नीचे दर्शाया गया इंटरवेंशन मैट्रिक्स नई पहलों को विकसित करने का साधन है । इस मैट्रिक्स में कार्यक्रम के डिजाइन की रूप-रेखा है और कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी पहल मैट्रिक्स के किसी एक सेल में अवश्य दिखेगी । मैट्रिक्स के प्रत्येक सेल में पहल का नमूना एक उदाहरण के रूप में नीचे दिया गया है ।

चित्र 1 – इंटर्वेंशन मैट्रिक्स

उद्देश्य →	प्रेशर बनाना	वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करना	इकाई को सुदृढ़ करना
क्षमता निर्माण के मुख्य क्षेत्र ↓			

संस्थागत	शासन स्थिति की रिपोर्ट एक मूल्यांकन प्रणाली आरंभ करना (पारदर्शी और प्रदर्शन पर आधारित) सूचना का अधिकार	सिविल सेवा पुरस्कार को संस्थागत करना	शासन ज्ञान केन्द्र
संगठनात्मक	सेवा प्रदायगी की रिपोर्ट की स्थिति	सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने वाली इकाई/संगठन के लिए पुरस्कार सर्वोत्तम कार्य पद्धति की अभिस्वीकृति/उत्कृष्टता पुरस्कार	सेवा प्रदायगी अभिसरण विशिष्ट विभागों का सुदृढ़ीकरण
व्यक्तिगत	सेवा प्रदायगी की रिपोर्ट की स्थिति निष्पादन मूल्यांकन तंत्र के अंतर्गत आकलन	सिविल सेवा पुरस्कार	सेवा प्रदायगी के लिए प्रशिक्षण

नोट – कार्यक्रम के अंतर्गत जिन इंटर्वेंशन को पहले ही शुरू किया जा चुका है वे मोटे अक्षरों में हैं।

5. किसी पहल की रूप-रेखा के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

i. इसमें यह प्रदर्शित होना चाहिए कि किस प्रकार से कोई पहल लोक प्रशासन संस्थानों, संगठनों या कार्मिक की क्षमता वृद्धि में सहायक होगी ताकि नागरिकों के वास्तविक लाभ के लिए कार्य किया जा सके ।

ii. खंड 4 में दिए गए वर्णन के अनुसार, पहल इंटर्वेंशन मैट्रिक्स के किसी एक सेल में उपयुक्त रूप से होना चाहिए ।

iii. प्रस्तावित पहल हो सकता है

(क) पहल/सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों के अनुकरण का समर्थन करना, विशेषकर उनका जिन्हें लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया हो ।

या

(ख) राज्य स्तर पर एक नए विचार, अवधारणा, संरचना या प्रणाली का आरंभ जो लोक सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा लेकिन जिसमें नॉलेज इनपुट के रूप में तकनीकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है जो कि मेजबान संगठन/विभाग/मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है ।

iv. इंटर्वेंशन को आंतरिक (डीएआरपीजी) और बाह्य हितधारकों से परामर्श करके तैयार किया जाना चाहिए और उनके सहयोग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

v. एमओपी प्रत्येक पहल (जो शुरू की गई है) के प्रभाव के मूल्यांकन के साथ-साथ सीखे गए सबक के प्रसार के लिए उत्तरदायी होंगे ।

6. प्रस्ताव की तैयारी

राज्य सहयोग पहल के अंतर्गत विचार-विमर्श के लिए भेजे गए किसी भी प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए :

i. अनुलग्नक-। में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सूचना

ii. स्पष्ट रूप से अभिचिन्हित किए जाने योग्य परिणामों और स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट इनपुट के साथ प्रत्येक पहल के लिए एक समयबद्ध कार्यान्वयन योजना तैयार की जानी चाहिए ।

iii. प्रत्येक प्रस्ताव को कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग व्यवस्थाओं (डीएआरपीजी को) निर्दिष्ट करना चाहिए ओर परियोजना कार्यान्वयन क्षमता का प्रमाण प्रदान करना चाहिए ।

iv. राज्य सहयोग पहल के तहत समर्थन के प्रस्तावों में इंगित बजट वास्तविक लागत अनुमानों के साथ परियोजना की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए और इसमें राज्यों के वित्तीय सलाहकार या उनके समकक्ष का अनुमोदन शामिल होना चाहिए ।

7. मूल्यांकन

स्कीम के तहत प्राप्त प्रस्ताव का पहले दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव की पूर्णता के लिए विभाग में संयुक्त सचिव (एआरसी) की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । यदि आवश्यक हुआ राज्यों द्वारा प्रस्तुतीकरण विभाग में आयोजित किए जाएंगे ।

8. परियोजना कार्यान्वयन

8.1 वित्तपोषण तंत्र

प्रस्ताव पर सचिव (एआर एंड पीजी) के अनुमोदन और आईएफडी की सहमति के पश्चात् निधियां कार्यान्वयन एजेंसी को चरणबद्ध कार्यान्वयन अनुसूची और इसके द्वारा की गई प्रगति की शर्तों पर हस्तांतरित की जाएंगी । परियोजना के कुल अनुमोदित बजट का 80% सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् जारी किया जाएगा । 20% की दूसरी किश्त अनुमोदित कार्यान्वयन सूची के अनुसार संतोषजनक प्रगति के आधार पर जारी की जाएगी ।

8.2 प्रापण

सभी प्रापण जीएफआर 2005 के अनुसार होने चाहिए ।

8.3 स्वामित्व और सर्वाधिकार

अनुमोदित पहलों से संबंधित सभी दस्तावेजों और प्रदेयों का स्वामित्व और सर्वाधिकार डीएआरपीजी के पास रहेगा ।

9. परियोजना निगरानी

(क) आयोजक विभाग डीएआरपीजी द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट आवधिक निगरानी रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा ।

(ख) राज्य पहलों की निगरानी सचिव (एआर एंड पीजी) की अध्यक्षता में या सचिव (एआर एंड पीजी) द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में तिमाही कार्यक्रम निगरानी बैठकों के माध्यम से की जाएगी ।

डीएआरपीजी के सहयोग से पहलों को शुरू करने के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने संबंधी प्रोफार्मा

1. प्रस्ताव का मूल विवरण	
(क) राज्य का नाम : (ख) आयोजक संस्थान का नाम : (ग) आयोजक संस्थान की स्थिति : मुख्य मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त निकाय/अन्य- कृपया स्पष्ट करें (घ) संपर्क व्यक्ति का नाम : (ड.) पता : (च) दूरभाष/फैक्स : (छ) नोडल अधिकारी का नाम : (ज) कार्यान्वयन एजेंसी (झ) नोडल एजेंसी के बैंक खाते का विवरण जिसको निधियां हस्तांतरित की जानी है :	
2. प्रस्ताव	
2क. प्रस्ताव सारांश	प्रस्ताव सारांश प्रस्ताव की शुरूआत में होना चाहिए और इसमें परियोजना की रूपरेखा होनी चाहिए । यह संक्षिप्त होनी चाहिए । दो या तीन पैराग्राफ से अधिक नहीं होना चाहिए । परियोजना के लक्ष्यों को दर्शाने के सभी बिंदु शामिल होने चाहिए ।
2ख. आयोजक संस्थान का परिचय	इसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए : i. संस्थान के प्रचालन का मुख्य क्षेत्र और क्लाएंटेल (ग्राहक-निकाय) ii. सेवा प्रदायगी अधिदेश जो इसके पास हैं। iii. इसके द्वारा चलाए जा रहे केंद्रीय कार्यक्रमों के प्रकार । iv. इसके द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही कोई बहुपक्षीय /द्विपक्षीय परियोजना यह उपयोगी होगा यदि संस्थान द्वारा आरंभ की जा रही विशेष पहलों के संबंध में तर्क प्रदान किया जाए । यह विशिष्ट समस्या अथवा वे मुद्दे जिनका एक

	पहल द्वारा समाधान किया जाना प्रस्तावित है एवं इनके अनुमानित परिणामों की व्याख्या है ।
2ग. समस्या विवरण	समस्या विवरण प्रस्ताव का मुख्य तत्व है । यह सीबीपीआर कार्यक्रम के सहयोग से प्रस्तावित पहल शुरू करके हल की जाने वाली समस्या का एक सुस्पष्ट, संक्षिप्त, सुसमर्थित ब्यौरा होना चाहिए। दी गई सूचना तथ्यात्मक और सीधे प्रस्ताव द्वारा समाधान की जाने वाली समस्या से संबंधित होनी चाहिए। समस्या ब्यौरे में समस्या ब्यौरे से संबंधित मुद्दे और प्रस्तावित आयोजक संस्थान के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।
2घ. परियोजना उद्देश्य	i. परियोजना की पहल में यह स्पष्ट होना चाहिए कि पहल से क्या हासिल करने का लक्ष्य है। ii. प्रत्येक उद्देश्य के अपेक्षित परिणाम और लाभ स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए । iii. दिशानिर्देशों में यथानिर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए और यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रस्ताव कैसे प्रत्येक मानदंड को पूरा करता है(संदर्भ खण्ड 5i , 5ii, 5iii)
2ड़. परियोजना की संभावना, दृष्टिकोण और कार्यपद्धति	उन गतिविधियों की विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए जिन्हें अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। कार्यकलापों के सेट को चुने जाने का औचित्य बताया जाए और यह भी कि परियोजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृष्टिकोण और कार्यपद्धति कैसे उपयुक्त हैं । प्रमुख उपलब्धियों की समय सारणी को भी शामिल किया जाना चाहिए।
2च. परियोजना कार्यान्वयन क्षमताएं	पहल को शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यान्वयन क्षमताओं की पहचान की जानी चाहिए साथ ही साथ उक्त क्षमताओं की उन विभागों/मंत्रालयों में उपलब्धता भी देखी जानी चाहिए जो कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। यदि वर्तमान में कार्यान्वयन क्षमताओं में कुछ कमियां हैं तो प्रस्ताव में इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि कैसे उन कमियों को दूर किया जाएगा ताकि कार्य आरंभ होने पर कोई व्यवधान न आए।
2छ. परियोजना की निगरानी	इसमें यह विस्तार से बताया जाना चाहिए कि परियोजना की सफलता का पता कैसे लगाया जाएगा और परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने संबंधी निगरानी सूचक भी उपलब्ध कराए जाएं ।
2ज. प्रस्ताव का बजट	उपर्युक्त शीर्षों में अनुमानित लागत(चरणवार) को

	भी दर्शाया जाना चाहिए।